ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

कार्यवृत्त

विद्या–परिषद् की 17 वीं बैठक

28 फरवरी, 2012

सभा–कक्ष

भाषा–विद्यापीठ

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में 28 फरवरी 2012 को सुबह 11.00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए:–

- विभूति नारायण राय : अध्यक्ष / कुलपति
- प्रो. अरविंदाक्षन : सदस्य / प्रतिकुलपति
- प्रो. ब्रिजेंद्र नारायण सिन्हा : सदस्य
- प्रो. तुलसी राम : सदस्य
- प्रो. शंभुनाथ : सदस्य
- प्रो. मनोज कुमार : सदस्य
- प्रो. उमाशंकर उपाध्याय : सदस्य
- प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल : सदस्य
- प्रो. इलीना सेन : सदस्या
- प्रो. लेला कारुण्यकरा : सदस्य
- प्रो. महेन्द्र कुमार सी. पाण्डेय : सदस्य
- प्रो. अनिल कुमार राय : सदस्य
- प्रो. रवि चतुर्वेदी : सदस्य
- प्रो. कृष्ण कुमार सिंह : सदस्य
- प्रो. संतोष कुमार भदौरिया : सदस्य
- डॉ. मैत्रेयी घोष : सदस्या
- डॉ. सी. अन्नपूर्णा : सदस्य
- डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी : सदस्य
- डॉ. शंभू गुप्त : सदस्य
- डॉ. कृपाशंकर चौबे : सदस्य
- डॉ. प्रीति सागर : सदस्य
- डॉ. फरहद मलिक : सदस्य
- डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय : सदस्य
- डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी : सदस्य
- डॉ. एच. ए. हुनगुंद : सदस्य
- डॉ. अनिल कुमार दुबे : सदस्य
- डॉ. उमेश कुमार सिंह : सदस्य

- श्री धनजी प्रसाद : सदस्य
- सुश्री चित्रलेखा अंशु : सदस्या
- श्री संजय भाष्कर गवई : पदेन सचिव / कुलसचिव

सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष से बैठक की कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया।
कार्यसूची एवं अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत अन्य विषय के अंतर्गत सभी मुद्दों पर विचार–विमर्श के बाद सर्वसम्मति से लिए गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:–

01. विद्या–परिषद् की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन :–

विद्या–परिषद् की 16वीं बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2011 को कुलपति की अध्यक्षता में भाषा विद्यापीठ के सभा–कक्ष में सम्पन्न हुई। उपर्युक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि हेतु कार्यवृत्त विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने 16वीं बैंठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

02. विद्या–परिषद् की 16वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई :–

विद्या–परिषद् की 16वीं बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2011 में अनुमोदित प्रकरण के संदर्भ में की गयी कार्रवाई माननीय विद्या–परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मद सं.	विवरण	की गयी कार्रवाई
01	**विद्या–परिषद् की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन :–**	अनुपालित
02	**प्रो. ब्रिजेन्द्र नारायण सिन्हा (मुजफ़्फ़रपुर), प्रो. शंभुनाथ (कोलकाता), प्रो. अंबा कुलकर्णी (हैदराबाद) एवं प्रो. तुलसीराम (दिल्ली) का विद्या–परिषद् में बाहृय सदस्य के रूप में नामाकंन की कार्योत्तर स्वीकृति** निर्णय : अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों से परिचय प्राप्त कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।	अनुपालित
03	**'मॉरीशस में नारी सशक्तिकरण : स्वरूप एवं संभावनाएं' विषय पर शोध करने हेतु श्रीमती रश्मि लालबिहारी (मॉरीशस) द्वारा अनुरोध** निर्णय : शोध के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।	अनुपालित
04	**श्री अजय कुमार (एम. ए. जनसंचार, तृतीय छमाही) तथा सुश्री अनिता गुप्ता (एम. ए. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन, प्रथम छमाही) को**	अनुपालित

	माननीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (3) के अंतर्गत परीक्षा में बैठने की अनुमति निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।	
05	**अकादमिक कैलेंडर 2010–2011 में संशोधन को कार्योत्तर स्वीकृति** निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए एम. फिल. और पी–एच. डी. पाठ्यक्रमों के लिए 16 मई 2011 तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा तथा एम. ए. स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 मई 2011 करने का निर्णय लिया।	अनुपालित
06	**श्री कन्हैया त्रिपाठी को पी–एच. डी. उपाधि प्रदान करने का अनुमोदन** निर्णय : पी–एच. डी. उपाधि प्रदान करने की अनुमति दी।	अनुपालित
07	**'दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र' के अंतर्गत एम. फिल. पाठ्यक्रम हेतु आउटसोर्सिंग के बजाय अन्य विभागों के शिक्षकों के सहयोग से कार्य लेने के संबंध में प्रो. लेला कारुण्यकरा का प्रस्ताव** निर्णय : विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के शिक्षकों से सहयोग हेतु लिखित में निवेदन किया जाये तथा तद्नुसार स्थिति से कुलपति को अवगत करायें।	पत्र निर्गत किया गया।
08	**पी–एच. डी. अध्यादेश 45/2009 की समीक्षा के संबंध में प्रो. लेला कारुण्यकरा का प्रस्ताव** निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगूलेशंस 2009 के अनुसरण में विश्वविद्यालय के पी–एच. डी. अध्यादेश को कार्य–परिषद् द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है अतः उसी को फिलहाल अपनाया जायेगा। इस पर पुनर्विचार के लिए कुलपति एक अन्य समिति नामित करेंगे तथा समिति से प्राप्त प्रारूप को सभी विभागों के अध्यक्षों को भेजा जाएगा।	समिति का गठन किया गया है।
09	**विद्या–परिषद् के छात्र प्रतिनिधि सदस्य श्री बच्चा बाबू एवं सुश्री सलाम अमित्रा देवी से अकादमिक गुणवत्ता हेतु प्राप्त सुझाव** निर्णय : विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश दिये गये।	सूचना निर्गत की गयी।
10	**'भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी' से संबंधित विषय पर भाषा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तीन**	पत्र निर्गत किया गया। 22–24 फरवरी 2012 को

	दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन का प्रस्ताव निर्णय : विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाये।	आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
11	**भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र के अंतर्गत सत्र 2012–13 से प्रस्तावित चीनी एवं स्पेनिश भाषा में एम. ए. पाठ्यक्रम आरंभ करने का अनुमोदन** निर्णय : एम. ए. पाठ्यक्रम को फिलहाल स्थगित रखने तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया। डॉ. उमेश कुमार सिंह से प्राप्त इस प्रस्ताव का स्वागत किया कि स्नातकोत्तर के साथ–साथ स्नातक / स्नातक–पूर्व (undergraduate) स्तरीय पाठ्यक्रम भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में चलाये जाने पर विचार किया जा सकता है।	12वीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा।
12	**एम. ए. पाठ्यक्रम (सत्र 2010–11) में प्रवेश हेतु निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को दिये गये प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृति** निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।	अनुपालित
13	**सुश्री सुषमा को पी–एच. डी. उपाधि प्रदान करने का अनुमोदन** निर्णय : पी–एच. डी. उपाधि प्रदान करने की अनुमति दी।	अनुपालित
14	**साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन** निर्णय : कार्यवृत्त का अनुमोदन किया। प्रो. शंभुनाथ के इस प्रस्ताव कि– 'तुलनात्मक साहित्य' पाठ्यक्रम के स्थान पर 'हिंदी साहित्य' पाठ्यक्रम एवं उसके लिए रोजगार की अधिक संभावनायें हैं, इसलिए उसका नाम हिंदी साहित्य रखने पर विचार किया जाये पर विस्तृत विचार–विमर्श के बाद साहित्य विभाग के अंतर्गत वर्तमान अकादमिक वर्ष से ही दोनों विषयों–'तुलनात्मक साहित्य' एवं 'हिंदी साहित्य' में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।	सत्र 2012–2013 की विवरणिका में शामिल किया जा रहा है।
15	**महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र के अध्ययन बोर्ड की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन**	अनुपालित

	निर्णय : कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।	
16	**संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।** निर्णय : कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।	अनुपालित
17	**भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड एवं अध्ययन मंडल की दिनांक 26 अप्रैल 2011 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।** निर्णय : बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गयी।	अनुपालित

निर्णय : विद्या–परिषद् ने सूचना ग्रहण की।

03. विदेशी विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क में बढ़ोतरी पर स्वीकृति :–

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त विदेशी विद्यार्थियों से वर्तमान में 150 डॉलर मासिक शुल्क लिया जा रहा है जिसे बढ़ाकर 200 डॉलर मासिक किया जाना है। उक्त मासिक शुल्क में शिक्षण शुल्क, भोजन, अंतरराष्ट्रीय छात्रावास में आवासीय सुविधा, पानी एवं बिजली का मूल्य, इंटरनेट सुविधा, क्लब/जिम तथा परिसर में वाहन सुविधा शामिल है।

निर्णय : अनुमोदित।

04. शोध निर्देशक के रूप में डॉ. शंभु गुप्त को निर्धारित सीमा से अतिरिक्त एक शोधार्थी श्रीमती रश्मि लालबिहारी, (मॉरीशस) दिये जाने को कार्योत्तर स्वीकृति :–

विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन ने प्रस्ताव दिया है कि पी–एच. डी. में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त एक सीट उन्हें प्रदान की जाये ताकि वे श्रीमती रश्मि लालबिहारी, (मॉरीशस) का शोध निर्देशन कर सकें।

निर्णय : **कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।**

05. कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र के परियोजना प्रस्तावों पर विचार हेतु :–

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता के प्रभारी डॉ. कृपाशंकर चौबे ने प्रस्ताव दिया है कि पूर्वोत्तर राज्यों की भाषा तथा संस्कृति के साथ हिंदी भाषा के संपर्क तथा संवाद के लिए संचयिता प्रकाशन, अनुवाद परियोजना तथा सांस्कृतिक संवाद परियोजना का प्रस्ताव दिया

निर्णय : **बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में शामिल किया जाये।**

06. अंशकालिक पी–एच. डी. आरंभ करने हेतु विचारार्थ :–

अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ तथा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारी संगठन की उपाध्यक्षा ने विश्वविद्यालय में अंशकालिक पी–एच. डी. पाठ्यक्रम आरंभ करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पेरियार एवं तमिलनाडू विश्वविद्यालय तथा गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान का अध्यादेश भी संलग्न किया है।

निर्णय : इस प्रस्ताव को सभी विद्यापीठों में भेजकर उनकी राय/टिप्पणी ली जाये तथा विद्या परिषद् की अगली बैठक में रखा जाये।

07. एम. ए. पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया में साक्षात्कार में छूट देने के प्रस्ताव पर स्वीकृतिः–

विश्वविद्यालय के समस्त एम. ए. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की कम संख्या को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रवेश प्रक्रिया में साक्षात्कार में छूट दी जा सकती है क्योंकि अक्सर प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार तथा प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होते हैं। इस संबंध में सत्र 2012–2013 का अकादमिक कैलेंडर जारी करते हुए साक्षात्कार से छूट देने को शामिल किया गया है।

निर्णय : एम. ए. के सभी पाठ्यक्रमों में साक्षात्कार का प्रावधान किया जाये। साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों को निकटतम मार्ग से रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान श्रेणी) का आने–जाने का किराया देने के संबंध में वित्ताधिकारी से टिप्पणी प्राप्त कर कुलपति को प्रस्तुत करेंगे। साक्षात्कार संबंधित विभागों द्वारा आयोजित किया जाये।

08. मॉरीशस के शोधार्थी श्री तरनदेव जगरनाथ के एम. फिल.डायस्पोरा प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृति देने हेतु :–

मॉरीशस के शोधार्थी श्री तरनदेव जगरनाथ ने एम. फिल. डायस्पोरा में प्रवेश लिया है अतः उनके प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृति दी जानी है।

निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

09. निर्धारित सीट के अतिरिक्त श्री चाउ वेई के पी–एच. डी. प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृति देने हेतुः–

साहित्य विद्यापीठ के पी–एच. डी. पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट के अतिरिक्त चीन के शोधार्थी श्री चाउ वेई को प्रवेश दिया गया है जिस पर कार्योत्तर स्वीकृति दी जानी है।

निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

10. अहिंसा एवं शांति अध्ययन में श्री रविशंकर के पी–एच. डी. पंजीयन मामले पर विचार तथा श्री मिथिलेश कुमार को पी–एच. डी. उपाधि प्रदान किये जाने पर अनुमोदन हेतु :–

अहिंसा एवं शांति अध्ययन की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 23–11–2011 के मद संख्या 09 पर लिए गये निर्णय के अनुसरण में उक्त प्रकरण विद्या–परिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : अ) विद्या–परिषद् द्वारा विचार–विमर्श कर श्री रविशंकर सिंह को बिना फेलोशिप के पी–एच. डी. की अनुमति दी गयी। प्रो. कारुण्यकारा द्वारा इस निर्णय पर असहमति जतायी गयी। किंतु विद्या–परिषद् के शेष सभी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

ब) श्री मिथिलेश कुमार को पी–एच. डी. उपाधि दिये जाने को अनुमोदित किया गया।

11. अकादमिक सत्र 2012–2013 के अकादमिक कैलेंडर –अनुमोदनार्थ :–

विश्वविद्यालय के अकादमिक सत्र 2012–2013 के अकादमिक कैलेंडर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : अनुमोदित।

12. एम. ए. के छात्रों के लिए हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा में डिप्लोमा अनिवार्य करने पर स्वीकृति हेतु :–

अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ ने प्रस्ताव दिया है कि एम. ए. के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के अतिरिक्त किसी एक अन्य भारतीय अथवा विदेशी भाषा में डिप्लोमा अनिवार्य किया जाना आवश्यक है। इस प्रस्ताव पर विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदित।

13. पूर्व मौखिकी प्रस्तुति तथा शोध प्रबंध जमा कराने की अवधि के संबंध में अध्यादेश संख्या 45/2009 में संशोधन करने के संबंध में :–

विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि स्त्री अध्ययन विभाग की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 22 दिसंबर 2011 के कार्यवृत्त के मद संख्या 03 के निर्णय संख्या 03 में सर्वसम्मति से अनुशंसा की गयी कि "इस विश्वविद्यालय में पूर्व मौखिकी प्रस्तुति तथा शोध प्रबंध जमा कराने के बीच तीन माह से ज्यादा का समय न लगे। पूर्व मौखिकी प्रस्तुति सेमिनार के पश्चात तीन माह के अंदर शोध प्रबंध जमा कराया जाये। इस निर्णय को वैधानिक स्थिति प्रदान किये जाने हेतु इसे विश्वविद्यालय अध्यादेश संख्या 45/2009 के बिंदु क्रमाक 9.1 में **At least three months before the intended period of submission of thesis** के स्थान पर अंकित किया जाना है।

निर्णय : विभागाध्यक्ष तथा विषय–विशेषज्ञ के दृष्टिकोण में यदि शोध प्रबंध में कोई बड़ा बदलाव (Major Change) नहीं है तो पूर्व मौखिकी प्रस्तुति सम्पन्न होने के तीन माह के भीतर तथा बड़ा बदलाव होने की स्थिति में पूर्व मौखिकी प्रस्तुति सम्पन्न होने के छह माह के भीतर शोध प्रबंध जमा करना होगा।

14. बी. बी. ए. षष्ठ सत्र की अध्ययन सामग्री पर स्वीकृति :–

महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र से प्राप्त प्रस्तावानुसार बीबीए के षष्ठ सत्र की अध्ययन सामग्री तैयार की जानी है। जिसमें विद्यार्थियों की सुविधाओं को देखते हुए 04 विशेषज्ञताओं की बजाय दो–दो विशेषज्ञताओं को अलग रखा जाना है।

निर्णय : अध्यक्ष की अनुमति से रखे गये विषय के अंतर्गत इस पर समुचित निर्णय लिया गया।

15. ISSN नंबर की बजाय शोध एवं शोध–पत्रों की स्तरीयता को महत्व देने के प्रस्ताव पर विचारार्थ :–

अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ ने प्रस्ताव दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों की शोध पत्रिकाओं में भी स्तरीय सामग्री प्रकाशित नहीं होती है जबकि उन पत्रिकाओं के पास ISSN नंबर है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को देखते हुए यह निश्चित किया जाना आवश्यक है कि शोध एवं शोध–पत्रों की स्तरीयता को महत्व दिया जाये न कि ISSN नंबर को।

निर्णय : यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विद्यापीठ ISSN नंबर प्राप्त पत्रिकाओं के अतिरिक्त ऐसी पत्रिकाओं की सूची प्रस्तुत करे जिनमें स्तरीय सामग्री प्रकाशित होती है। विद्या–परिषद् विचारोपरांत ऐसी पत्रिकाओं को भी मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी।

16. छात्र प्रतिनिधि के तौर पर सुश्री चित्रलेखा अंशु तथा श्री धनजी प्रसाद के नामित किये जाने की सूचना :–

श्री बच्चा बाबू तथा सुश्री सलाम अमित्रा देवी का एक वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात कुलपति महोदय द्वारा सुश्री चित्रलेखा अंशु तथा श्री धनजी प्रसाद को नामित किया गया।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने दोनों छात्र प्रतिनिधियों का बतौर सदस्य स्वागत किया।

17. सुश्री कविता बिसारिया को पी–एच. डी. उपाधि प्रदान किये जाने की स्वीकृति :–

विभागाध्यक्ष, भाषा प्रौद्योगिकी विभाग ने सुश्री कविता बिसारिया को उनके शोध प्रबंध **हिंदी की अव्यय संरचना** पर पी–एच. डी. की उपाधि दिये जाने का प्रस्ताव दिया है।

निर्णय : अनुमोदित।

18. मानवविज्ञान विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 03–04 अक्टूबर 2011 का कार्यवृत्त पर अनुमोदन :–

मानवविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया है कि अध्ययन मंडल की दिनांक 03–04 अक्टूबर 2011 की बैठक के कार्यवृत्त पर स्कूल बोर्ड की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में विद्या–परिषद् में अनुमोदनार्थ रखा जाये।

निर्णय : संस्कृति विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत स्कूल बोर्ड की कार्यसूची में उक्त विषय सम्मिलित है।

19. क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद में सत्र 2012–2013 में नियमित पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव विचारार्थ :–

क्षेत्रीय केंद्र के प्रभारी ने प्रस्ताव दिया है कि सत्र 2012–2013 से नियमित पाठ्यक्रम आरंभ किया जाये। एम. ए. समाजकार्य, भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का सुझाव दिया है।

निर्णय : सभी प्रस्ताव बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव शामिल किये जा रहे हैं।

20. संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की आठवीं बैठक दिनांक 18 जनवरी 2012 का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ :–

संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की आठवीं बैठक दिनांक 18 जनवरी 2012 का कार्यवृत्त अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ ने अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है।

निर्णय : मद संख्या दो छोड़कर शेष अनुमोदित।

21. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर दलित एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र की शोध उपाधि समिति की पहली बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ :–

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर दलित एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र की शोध उपाधि समिति की दिनांक 04 फरवरी, 2012 को आयोजित पहली बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है।

निर्णय : अनुमोदित।

22. साहित्य विद्यापीठ के अध्ययन मंडल एवं स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 20.02.2012 का कार्यवृत्त विद्या–परिषद की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :–

साहित्य विद्यापीठ के अध्ययन मंडल एवं स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2012 का कार्यवृत्त विचारार्थ अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ ने प्रस्तुत किया है।

निर्णय : अनुमोदित।

23. भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त तथा भारतीय विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केन्द्र के प्रबंधन मंडल का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :–

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त तथा भारतीय विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केन्द्र के प्रबंधन मंडल का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ संकायाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ ने प्रस्तुत किया है।

निर्णय : अनुमोदित।

24. अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मंडल एवं विभागीय शोध उपाधि समिति की बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ :–

अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मंडल (दिनांक 13 फरवरी,2012)एवं विभागीय शोध समिति की बैठक (दिनांक 22 फरवरी, 2012) का कार्यवृत्त विभागाध्यक्ष, अनुवाद प्रौद्योगिकी ने प्रस्तुत किया है।

निर्णय : अनुमोदित।

25. अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग की शोध उपाधि समिति की पंचम बैठक (दिनांक 22 फरवरी, 2012) का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ :–

अहिंसा एव शांति अध्ययन विभाग की शोध समिति की पंचम बैठक का कार्यवृत्त अनुमादनार्थ विभागाध्यक्ष , अहिंसा एवं शांति अध्ययन ने प्रस्तुत किया।

निर्णय : अनुमोदित।

26. संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 22 फरवरी 2012 को आयोजित नवीं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ :–

संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की नवीं बैठक दिनांक 22 फरवरी 2012 का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ ने प्रस्तुत किया है।

निर्णय : मद संख्या 1 एवं 2 के अंतर्गत एम. फिल. शोध निर्देशक की अर्हता तथा एम. फिल.–पी–एच. डी. समेकित करने और तीन सेमेस्टर किये जाने के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष अपनी टिप्पणी अध्यादेश संशोधन समिति को प्रस्तुत करें। अध्यादेश संशोधन समिति अपनी अनुशंसा विद्या–परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करे।

27. यह प्रस्तावित किया जाता है कि मानवविज्ञान विभाग तथा संचार एवं मीडिया अध्ययन केन्द्र को संस्कृति विद्यापीठ के स्थान पर मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत लाया जाये।

निर्णय : अनुमोदित।

28. यह प्रस्तावित किया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी के अलावा एक अन्य भारतीय / विदेशी भाषा का अध्ययन अनिवार्य हो।

निर्णय : मद संख्या 12 के अनुसार।

29. यह प्रस्तावित किया जाता है कि एम. ए. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) सत्र 2012–13 से एम. ए. हिंदी साहित्य का ही हो। एम. फिल. / पी–एच. डी. स्तर के पाठ्यक्रम में तुलनात्मक साहित्य पूर्ववत जारी रहेगा। उक्त पाठ्यक्रम में चयनित विद्यार्थी को हिंदी के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा जानना अनिवार्य होगा।

निर्णय : अनुमोदित।

30. कुलाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत चार नये विद्यापीठों में से विधि विद्यापीठ (School of Law) का नाम परिवर्तित कर सृजन विद्यापीठ (School of Creativity) किया जाये।

निर्णय : अनुमोदित।

31. कुलपति द्वारा अधिनियम संख्या 12 (3) के तहत नियुक्तियों के लिए नामित बाह्य विशेषज्ञों को कार्योत्तर स्वीकृति दी जाये।

निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

32. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाने वाले विभागों/संकायों/केंद्रों/निदेशालयों आदि के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्राप्ति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : इस प्रस्ताव को निम्न सुझावों के साथ अनुमोदित किया गयाः—

1. डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र को दो केंद्रो में विभाजित किया जाये। अ) डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर दलित केंद्र ब) सिदो कान्हू मुर्मू जनजाति अध्ययन केंद्र
2. Department of Painting & Design को Department of Painting किया जाये।
3. Department of Graphics को Department of Graphics & Design किया जाये।
4. Department of Library को Department of Library & Information Science किया जाये।
5. Department of Development Culture & Political Studies को बदलकर Department of Sustainable Development & Political Strategies किया जाये।

33. विश्वविद्यालय के अकादमिक अध्यादेश क्रमांक–2 में संशोधन, उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की मानदेय राशि तथा एम.फिल. पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर की अनिवार्यता संबंधी परीक्षा विभाग के प्रस्ताव।

निर्णय : अनुमोदित।

34. शोधार्थी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

1. **चूँकि अभी विभिन्न विभागों में पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है अतः फिलहाल पुस्तकालय के प्रथम तल में शोधार्थियों हेतु सामान्य कक्ष की व्यवस्था की जाये।**
2. **विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना आरंभ करने के संबंध में प्रतिकुलपति द्वारा सूचित किया गया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक से कई बार सम्पर्क करने पर भी कोई सकारात्मक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में वित्ताधिकारी को राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक, पुणे से व्यक्तिगत सम्पर्क करने हेतु कहा गया।**
3. **केंद्रीय वाचनालय में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रिकायें उपलब्ध करायी जायें।**
4. **सावित्री बाई फुले महिला छात्रावास में महिला गार्ड की तैनाती की जाये।**
5. **चतुर्थ छमाही के विद्यार्थियों को परियोजना राशि दिये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।**

6. एम. फिल. के शोधार्थियों के लघु शोध प्रबंध को जमा करने की तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की गयी।
7. नेट/जे.आर.एफ. सेल के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
8. शोध प्रबंध जमा करने पर शोधार्थियों को मौखिकी तक अतिथि शोधार्थी के रूप में छात्रावास में रहने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया तथापि उन्हें मौखिकी के समय अतिथि शोधार्थी के रूप में रहने की सुविधा दी जाये।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एक Research Exclusive का कॉलम बनाया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की अतिविशिष्ट उपलब्धियों का विवरण डाला जाये।
10. विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए प्रति वर्ष एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
11. छात्रावास संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए कुलानुशासक, छात्रावास अधीक्षक तथा विशेष कर्त्तव्याधिकारी (परिसर विकास) छात्रावास का निरीक्षण कर आवश्यक अनुशंसा दें।
12. शीतावकाश तथा ग्रीष्मावकाश के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों से अवगत कराया गया।
13. शोधपरक योगदान हेतु ISSN पंजीयन युक्त उच्च मानकता प्राप्त शोध जर्नल के प्रकाशन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
14. विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा लघु एवं वृहद परियोजना कार्य के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भेजा गया।
15. विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल के गठन के प्रस्ताव को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में शामिल किया जाये।

35. संस्कृति विद्यापीठ के अधिष्ठाता द्वारा महात्मा गांधी फ्यूजी गुरूजी शांति अध्ययन केंद्र, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र तथा डॉ. भदन्त आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र संबंधी अध्यादेश संख्या क्रमशः 35, 36, 46 एवं 47 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया।

निर्णय : कार्य–परिषद् की अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

36. महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्ताव।

निर्णय : **प्रस्ताव संख्या 1– बीबीए के षष्ठ सत्र में द्वि–विशेषज्ञता सुविधा।**

प्रस्ताव संख्या 3– दूरस्थ शिक्षा के अधीन संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में क्रेडिट स्थानांतरण (बाह्य एवं आंतरिक)।

प्रस्ताव संख्या 4– दूरस्थ शिक्षा के अधीन संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में मुक्त प्रस्थान।

<u>**प्रस्ताव संख्या 5**</u>– एम. ए. हिंदी का पाठ्य विवरण।

उक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या 2</u> को अस्वीकृत कर यह सूचित किया गया कि महात्मा गांधी दूरस्थ शिक्षा केंद्र का नाम परिवर्तित कर दूर शिक्षा निदेशालय किया जाये जो कि किसी भी विद्यापीठ के अंतर्गत न रह कर अन्य निदेशालयों की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

37. छात्र प्रतिनिधि सुश्री चित्रलेखा अंशु द्वारा आगंतुकों के आगमन–प्रस्थान के संबंध में पंजिका में विवरण दर्ज करने का प्रस्ताव दिया गया।

निर्णय : अनुमोदित।

38. प्रो. उमाशंकर उपाध्याय द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि अतिथि अध्यापक को 250 रूपये प्रति व्याख्यान के स्थान पर 1000 रूपये प्रति व्याख्यान दिया जाये।

निर्णय : वित्ताधिकारी इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान विद्या–परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

बैठक की समाप्ति सभी सदस्यों द्वारा कुलपति को धन्यवाद देने तथा अध्यक्ष एवं पदेन सचिव द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता–ज्ञापन करने से हुई।

(संजय भा. गवई)
पदेन सचिव : विद्या–परिषद् (कुलसचिव)
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा (महाराष्ट्र)